शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 2 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 5 – 12 जनवरी 2026 मूल्य पांच रूपये

# आसान नहीं होगा भाजपा को राज्यसभा में खेला करना

**शिमला/शैल।** क्या इस बार भी राज्यसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा सुक्खू सरकार और कांग्रेस को झटका दे पायेगी? यह सवाल पिछले कुछ समय से चर्चा में चल रहा है। क्योंकि भाजपा के कुछ नेताओं के ऐसे बयान सामने आये हैं। इसी के साथ कांग्रेस ने सत्ता के तीन साल पूरे होने पर जिस तरह की रैली का आयोजन मंडी में किया और उसमें जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की रही तथा इस आयोजन से जिस तरह की दूरी स्व. वीरभद्र खेमे से जुड़े नेताओं ने बनाई उससे अनचाहे ही यह संदेश और संकेत चले गये कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन इसी के साथ यह भी चर्चा में आ गया कि भाजपा ही प्रदेश में कई गुटों में बंटी हुई है। यह सही है कि इस समय प्रदेश भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जगत प्रकाश नड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर तीन बड़े चेहरे हैं। इन्हीं के साथ कांग्रेस से भाजपा में गये नेताओं का अपना ही एक गुट परिस्थितियों के कारण बन गया है। क्योंकि जब इन नेताओं के पासा बदलने के कारण कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार गयी तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और यह नेता एक दूसरे के खिलाफ सीधी लड़ाई में आ गये। कांग्रेस से भाजपा में गये यह नेता आज तक मुख्यमंत्री के साथ सीधे टकराव में चल रहे हैं। इस टकराव में भाजपा के मूल नेता संयोगवश आज तक दूरी ही बनाये हुये हैं। ऐसे में यह स्थितियां बनी हुई है कि मुख्यमंत्री सुक्खू जहां कांग्रेस में अकेले इन नेताओं से भिड़े हुये हैं वहीं पर भाजपा में जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर भी इस टकराव में तटस्थता ही बनाये हुये चल रहे हैं। कांग्रेस से भाजपायी बने इन नेताओं के साथ अभी तक जयराम ठाकुर के अतिरिक्त और किसी अन्य भाजपा नेता का बड़ा योगदान नहीं रहा है। जयराम ठाकुर ने ही पिछले दिनों यह मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस से भाजपा में आये नेताओं और उनके परिजनों के खिलाफ सुक्खू व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। जयराम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सत्ता बदलने के बाद उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के कौन-कौन नेता सुक्खू सरकार के खिलाफ पूरी प्रमाणिकता के साथ हमलावर होते हैं। इस समय जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर सुक्खू सरकार के खिलाफ रस्मी विरोध से ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। बल्कि जिस तरह का हमला विक्रम ठाकुर सुक्खू सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं उसको भी नड्डा और अनुराग ने ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया है। बल्कि भाजपा नेताओं के कारण इस समय सारी लड़ाई केन्द्र सरकार के प्रदेश को आर्थिक सहयोग के गिर्द ही केंद्रित होकर रह गयी है और इसमें राज्य सरकार का पक्ष ज्यादा कमजोर नहीं है। इस परिदृश्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेता किस तरह की आक्रामकता सुक्खू सरकार के खिलाफ अपनाते हैं। इसमें यह देखना भी रोचक होगा कि मुख्यमंत्री सुक्खू और उनकी टीम केन्द्र सरकार और संघ के खिलाफ कितनी प्रामाणिकता के साथ हमलावर होते हैं। यदि कांग्रेस के आक्रमण में किसी तरह की कमी रहती है तभी भाजपा राज्यसभा चुनाव में खेला कर पायेगी अन्यथा नहीं। क्योंकि भाजपा में नड्डा अनुराग और जयराम सबकी नज़रें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है ऐसे में उनके हितों में टकराव होना स्वभाविक है।

# मुख्यमंत्री-मुख्य सचिव कार्यालय निर्माण में अनियमितताओं का आरोप

## जांच रिपोर्ट के हवाले से भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल

**शिमला/शैल।** भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के लिये बन रहे नये कार्यालय भवन के निर्माण में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सामने आई जांच रिपोर्ट सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

संजीव कटवाल के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण एवं डिजाइन टीम की निरीक्षण रिपोर्ट में भवन निर्माण के दौरान मानकों की अनदेखी का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कॉलम स्टील में कवर की कमी, कुछ कॉलमों में दरारें, क्योरिंग प्रक्रिया में लापरवाही तथा आवश्यक तकनीकी परीक्षण न किये जाने जैसी आपत्तियों का जिक्र है। कटवाल ने आरोप लगाया कि इससे करोड़ों रुपये की लागत वाले इस भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं।

उन्होंने कहा कि जब यह भवन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जैसे संवैधानिक पदों के लिये बनाया जा रहा है, तो ऐसी खामियों का सामने आना चिंताजनक है। कटवाल ने सवाल किया कि क्या इन कमियों के पीछे ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने की मंशा रही है।

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि रिपोर्ट में साइट ऑर्डर बुक में दर्ज वरिष्ठ अधिकारियों की आपत्तियों का पालन न होने की बात सामने आई है, जो उनके अनुसार प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।

संजीव कटवाल ने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच करवाई जाये तथा दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कारवाई हो। उन्होंने कहा कि जनता को यह बताया जाना चाहिए कि इस निर्माण में पाई गई खामियों की जिम्मेदारी किसकी है।

कटवाल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो भाजपा इसे लेकर लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में आंदोलन करेगी और जनता के बीच इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

# राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से नशे से दूर रहते हुए विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान किया। राज्यपाल लोकभवन से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने जा रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर 34 युवाओं के दल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया।

गौरतलब है कि केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा 9 से 12 जनवरी, 2026 तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव एवं विकसित भारत यंग लीडर्स डायल ग का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में देशभर से लगभग 3000 युवा भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश से चयनित 34 युवा इस मंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।

यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसके तहत प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय और नेशनल वॉर मेमोरियल का भ्रमण भी कराया जाएगा। साथ ही, युवाओं को विभिन्न युवा हस्तियों एवं केंद्रीय मंत्रियों से संवाद का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का समापन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर से आये युवाओं को संबोधित करेंगे।

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का विकास होता है और तभी राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच संभव है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर देश निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। राज्यपाल ने शब्द को 'ब्रह्म' बताते हुए युवाओं से बौद्धिक विकास पर विशेष ध्यान देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हैं, लेकिन उनका पूर्ण लाभ तभी संभव है जब समाज का बौद्धिक स्तर भी सुदृढ़ हो। इस दिशा में युवा वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के लिए युवाओं का चयन माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से आयोजित तीन प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, जिसमें देशभर से लगभग 50 लाख युवाओं ने आवेदन किया था।

# हिमाचल हमारा है, इस सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता:राज्यपाल

**शिमला/शैल।** टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ''प्रोग्रेसिव एंड ड्रग फ्री हिमाचल'' कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नशामुक्त और प्रगतिशील हिमाचल के लिए सभी को साझा सोच और सामूहिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि में नशे का कोई स्थान नहीं होना चाहिये।

राज्यपाल ने अपने पूर्व नशामुक्त हिमाचल अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी से यह मुहिम मजबूत हुई है। उन्होंने संतोष जताया कि आज सरकार, पुलिस प्रशासन और आम जनता मिलकर नशे के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि जनमत निर्माण में समाचार पत्रों और पत्रकारों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने पुलिस प्रशासन से कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध नशा कारोबार में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई और जन-जागरूकता बढ़ाने का आहवान किया। साथ ही सरकारी क्षेत्र में नशामुक्ति केंद्र स्थापित कर उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रगतिशील हिमाचल केवल नीतियों से नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, जिम्मेदार मीडिया और सक्रिय नागरिक सहभागिता से संभव है।

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी ने नशे से महिलाओं पर पड़ने वाले सामाजिक और भावनात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। आईजीएमसी के पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक डॉ. रमेश चंद ने भी विचार साझा किए।

इससे पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ की ब्रांच हेड अंजलि कुमरिया ने राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में लघु नाटिका के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को भी प्रस्तुत किया गया।

# एचपीएसईबीएल में डिजिटल सुधारों से राज्य को 16.83 करोड़ रुपये की बचत: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में किए गए डिजिटल और प्रशासनिक सुधार राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पारदर्शी खरीद प्रक्रिया और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देकर सरकार न केवल उपभोक्ता सेवाओं में सुधार कर रही है, बल्कि वित्तीय अनुशासन को भी सुदृढ़ बना रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महंगी आउटसोर्सिंग पर निर्भरता कम करने और पारदर्शी खरीद अपनाने से बिजली बिलिंग एवं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सहायता सेवाओं पर होने वाला खर्च 46 प्रतिशत घट गया है। इन सेवाओं पर वार्षिक व्यय 12.29 करोड़ रुपये से घटकर 6.68 करोड़ रुपये रह गया है।

इन सुधारों से प्रतिवर्ष लगभग 5. 61 करोड़ रुपये की सीधी बचत होगी, जिससे तीन वर्षों में कुल 16.83 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा। इस राशि का उपयोग जनकल्याणकारी कार्यों और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने में किया जाएगा।

ईज़ ऑफ लिविंग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएसईबीएल का डिजिटलीकरण राज्य के लगभग 29 लाख घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। ऑनलाइन बिजली कनेक्शन आवेदन, स्मार्ट बिलिंग, प्रीपेड सेवाएं, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल शिकायत निवारण जैसी सुविधाओं से प्रक्रियागत देरी कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं को सशक्त करने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बोर्ड में एंड-टू -एंड डिजिटलीकरण लागू किया गया है। सरकार एग्रीगेट टेक्निकल एवं कमर्शियल (एटीएंडसी) हानियों को कम करने, स्मार्ट व प्रीपेड मीटरिंग के माध्यम से समय पर बिलिंग और राजस्व वसूली सुनिश्चित करने तथा परिचालन व्यय के युक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा कि बेहतर बिजली खरीद योजना, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया और बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) जैसे आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म के एकीकरण से बोर्ड की वित्तीय स्थिरता और मजबूत होगी तथा प्रदेश में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य संस्थानों को आत्मनिर्भर, जवाबदेह और तकनीक-आधारित बनाना है, ताकि वर्ष 2027 तक एक आधुनिक और आत्मनिर्भर हिमाचल की मजबूत नींव रखी जा सके।

# मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग का 'दैट्स यू' अभियान किया लांच

## पर्यटकों को यात्रा का अतुलनीय अनुभव देने की महत्त्वाकांक्षी पहल

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग की नई पहल 'दैट्स यू' अभियान का शुभारम्भ किया। यह अभियान राज्य की पर्यटन नीति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसके तहत पारम्परिक दर्शनीय स्थलों तक सीमित पर्यटन से आगे बढ़ते हुए स्लो टूरिज्म की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान विशेष रूप से राज्य के प्रवेश द्वारों, हवाई अड्डों तथा हेरिटेज रेलवे स्टेशनों पर आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों और हिमालयी प्रकृति के बीच एक गहरा एवं व्यक्तिगत जुड़ाव स्थापित करना है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्लो टूरिज्म को बढ़ावा देने की यह पहल राज्य की पर्यावरणीय सेहत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। कम प्रसिद्ध गांवों में लंबे प्रवास और स्थानीय संस्कृति में सहभागिता को प्रोत्साहित कर यह अभियान न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा, बल्कि लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर बढ़ते दबाव को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता को भी सामने लाएगा।

पर्यटन निदेशक विवेक भाटिया ने जानकारी दी कि 'दैट्स यू' अभियान चंडीगढ़-शिमला प्रवेश मार्ग, गग्गल और भुंतर हवाई अड्डों तथा ऐतिहासिक कालका-शिमला टॉय ट्रेन मार्ग सहित राज्य के प्रमुख आगमन स्थलों पर संचालित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस गोकुल बुटेल सहित पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

# मुख्यमंत्री ने जननी सुरक्षा ड्रॉप बैक एम्बुलेंस बदलने के दिए निर्देश

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में जननी सुरक्षा ड्रॉप बैक एम्बुलेंस को बदलने के निर्देश दिए। इसके तहत 125 एम्बुलेंस बदली जाएंगी, जिस पर लगभग 10.68 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुलभ, स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वृद्धजनों की बेहतर देखभाल के लिए एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत शय्याग्रस्त मरीजों को घर पर जांच और उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए चिकित्सक व पैरा-मेडिकल स्टाफ की विशेष टीमें गठित कर उन्हें 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। टाइप-1 डायबिटीज से ग्रसित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क इंसुलिन पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर लगभग 2.25 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

मुख्यमंत्री ने नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि नशे की चपेट में आये युवाओं का पुनर्वास सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने पुनर्वास केंद्रों को सशक्त करने के लिए व्यापक योजना और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में गोकुल बुटेल, प्रियंका बासु इंगटी, डॉ. निपुण जिंदल, प्रदीप कुमार ठाकुर, गोपाल बेरी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# एसजेवीएन ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में 10 लाख रुपये का अंशदान किया

**शिमला/शैल।** सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 10 लाख रुपये का अंशदान दिया है। निगम की ओर से यह राशि निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को चेक के माध्यम से भेंट की गई।

मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए एसजेवीएन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का सहयोग जरूरतमंद और बेसहारा वर्गों के कल्याण में सहायक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा, परियोजना प्रमुख रामपुर जल विद्युत स्टेशन विकास मारवाह, परियोजना प्रमुख लुहरी जल विद्युत परियोजना (स्टेज-1) विवेक शर्मा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) संजय सूद भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

# सरकारी कैलेंडर-2026 को लेकर फर्जी पोस्ट प्रसारित, एफआईआर दर्ज

**शिमला/शैल।** मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ने सरकारी कैलेंडर-2026 को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी और भ्रामक पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा विभाग द्वारा मुद्रित कैलेंडर को संपादित कर तिथियों को अव्यवस्थित एवं अवास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि सामग्री से छेड़छाड़ कर इसे अनाधिकृत रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसका उद्देश्य भ्रम फैलाना और विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाना है। यह कृत्य अनैतिक होने के साथ-साथ गैर-कानूनी भी है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में राज्य सीआईडी साइबर क्राइम सेल द्वारा 9 जनवरी 2026 को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है।

विभाग ने आम जनता से अपील की है कि फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ऐसी फर्जी एवं भ्रामक पोस्ट पर विश्वास न करें, न इन्हें साझा करें और न ही आगे प्रसारित करें।

# मुख्यमंत्री ने सहारा एवं हिमकेयर योजना की समीक्षा की

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सहारा

योजना और हिमकेयर योजना की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने सहारा योजना का लोकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि पात्रता सत्यापन के लिए जिला स्तर पर तीन सदस्यीय समितियों का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इससे जुड़ी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने सहारा योजना के लाभार्थियों को हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए तथा हिमकेयर योजना के अंतर्गत मापदंडों और बजट से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण के समय लाभार्थियों का सत्यापन फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना से संबंधित डेटा का विश्लेषण कर प्रदेश में विभिन्न बीमारियों की स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रभावी नीति निर्माण संभव हो सकेगा। उन्होंने निजी अस्पतालों की लंबित देय राशि के भुगतान के निर्देश भी दिए। साथ ही, हिमकेयर योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्राइवेट वार्ड में उपचार की अनुमति प्रदान करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्वस्थ हिमाचल' की परिकल्पना को साकार करने के लिए नागरिकों को घर के समीप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके तहत रोबोटिक सर्जरी, स्टेट कैंसर इंस्टीटयूट, पैट स्कैन एवं स्पैक्ट-स्कैन जैसी आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, रोगी मित्र योजना, वैलनेस सेंटर तथा आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर जैसी पहलें स्वास्थ्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस गोकुल बुटेल, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, सचिव स्वास्थ्य प्रियंका बासु इंगटी तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# 27,715 अतिनिर्धन परिवारों को मिलेगा पक्का मकान: मुख्यमंत्री

## कोई भी पात्र परिवार आईआरडीपी से नहीं रहेगा बाहर

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कच्चे मकानों में रह रहे पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित

आवास प्रत्येक नागरिक का सामाजिक अधिकार है और सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि अतिनिर्धन परिवारों के चयन हेतु किए गए सर्वेक्षण के प्रथम चरण में 27,715 ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं, जो पिछले 20 वर्षों से आईआरडीपी में शामिल होने के बावजूद पक्के मकान से वंचित हैं। इस चरण में आय सीमा 50 हजार रुपये रखी गई थी।

उन्होंने बताया कि सर्वे के दूसरे चरण में 35,355 अतिरिक्त परिवार जोड़े गए हैं, जिससे अतिनिर्धन परिवारों की कुल संख्या 63,070 हो गई है। तीसरे चरण में अनाथ, दिव्यांग और विधवाओं को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। आगामी चरणों में मापदंडों को और उदार बनाते हुए अधिक से अधिक पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र परिवार आईआरडीपी से बाहर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग को सुदृढ़ करने के लिए रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जाएंगे और पंचायतों में कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मकान निर्माण नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, गोकुल बुटेल, राकेश कंवर, सी. पालरासु, राघव शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# हिम परिवार पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा एकीकृत:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जन सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के दूर- दराज और जनजातीय क्षेत्रों में भी अधिकांश सरकारी सेवाएं एक क्लिक पर नागरिकों को उपलब्ध हो रही हैं, जो सुशासन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी एंड ई-गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश की सामान्य सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभाग द्वारा विकसित विभिन्न आईटी आधारित एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की समीक्षा करते हुए इन्हें और अधिक नागरिक-हितैषी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिम परिवार पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एकीकृत किया जा रहा है। इसके तहत हिम सेवा पोर्टल में एआई आधारित दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणीकरण प्रणाली जोड़ी जाएगी, जिससे राजस्व सेवाओं में प्रारंभिक जांच स्वत: हो सकेगी। इससे अनावश्यक आवेदन निरस्त होने की समस्या खत्म होगी, प्रक्रिया तेज होगी और नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि एआई प्रणाली दस्तावेज अपलोड के समय उनकी गुणवत्ता, पूर्णता और विवरणों का स्वत: मिलान करेगी तथा किसी भी त्रुटि की तत्काल जानकारी आवेदक को देगी। इससे आवेदन लगभग स्वीकृति की स्थिति में ही अधिकारियों तक पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री ने हिम उपस्थिति एप्लीकेशन की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिम एक्सेस पोर्टल में प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा और एक माह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एसेट मैपिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे संपत्तियों का नवीनतम और समग्र डेटा उपलब्ध होगा, जो आधारभूत संरचना विकास, नीति निर्माण और संसाधन प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हिम परिवार पोर्टल में पंचायत स्तर तक संपूर्ण मैपिंग, सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों और भूमि संबंधी डेटा को शामिल किया जाए तथा इसे सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि लक्षित लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ई-गवर्नेंस में चरणबद्ध रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक को शामिल कर रही है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता, निर्णय प्रक्रिया, डाटा सुरक्षा और रिक ई प्रबंधन में बड़ा सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने लोक मित्र केंद्रों की संख्या बढ़ाने और केंद्र धारकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में निर्बाध सेवाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (डीटीजी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल ने बताया कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहण-2025 में हिमाचल प्रदेश को उसकी दूरदर्शी डिजिटल पहल हिम परिवार परियोजना के लिए विशेष मान्यता प्रदान की गई है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, श्याम भगत नेगी, विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# प्रदेश में 1000 पैट्रो ईंधन टैक्सियां ई-वाहनों से बदली जाएंगी: मुख्यमंत्री

## ई-टैक्सी पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पैट्रो ईंधन आधारित टैक्सियों को चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलेगी। परिवहन, श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 1000 टैक्सियों को ई-टैक्सियों में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके लिए टैक्सी मालिकों को 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग को प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा पुरानी टैक्सियों की स्क्रैपिंग पंजीकृत केंद्रों में करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए निजी बस संचालन हेतु 390 रूटों के परमिट जारी किए जाएंगे, जिन पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना में पात्र युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ वाहनों को सरकारी विभागों से जोड़ने की गारंटी भी दी जाती है।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, सचिव प्रियंका बासु इंगटी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, श्रम आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# डोडरा-क्वार सड़क परियोजनाओं पर केंद्रीय सहयोग का आग्रह

**शिमला/शैल।** लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर

डोडरा-क्वार क्षेत्र की तीन लंबित सड़क परियोजनाओं को पीएमजीएसवाई-1 के तहत मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इन सड़कों को ग्रामीणों के लिए अत्यंत आवश्यक बताया।

लोक निर्माण मंत्री ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से लंबित 76 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने की मांग भी की, ताकि निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो सके। इसके अलावा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए पीएमजीएसवाई-4 के तहत 294 सड़क प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह किया, जिन्हें अधिकार प्राप्त समिति पहले ही अनुशंसित कर चुकी है।

उन्होंने बताया कि ये 294 परियोजनाएं कुल 1,538 किलोमीटर लंबी हैं, जिनसे 250 से अधिक बस्तियों सहित सड़क सुविधा से वंचित 429 बस्तियां जुड़ेंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों का विशेष महत्व है, क्योंकि राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव केंद्रीय सहयोग का आश्वासन दिया और लंबित राशि जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

# बागवान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बागवानी मंत्री से की भेंट

## सेब एमआईएस भुगतान प्रक्रिया में संशोधन

**शिमला/शैल।** बागवान संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब एमआईएस सीजन-2025 की भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया।

बागवानी मंत्री ने बागवानों को आश्वासन दिया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ तथ्यों के आधार पर आवश्यक विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बागवानों के हित, जमीनी परिस्थितियों और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए एचपीएमसी द्वारा सेब एमआईएस सीजन-2025 में फल रसीदों के आधार पर नकद एवं वस्तु के रूप में भुगतान संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन कर अधिसूचना जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार अब केवल उन्हीं बागवानों से राजस्व अभिलेख (खाता-खतौनी) लिए जाएंगे, जिनके पास एमआईएस सीजन-2025 के अंतर्गत 100 बैग से अधिक सेब की फल रसीदें हैं। अन्य मामलों में पूर्ववत नियम लागू रहेंगे। मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से दस्तावेजी औपचारिकताएं कम होंगी और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल व समयबद्ध बनेगी। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार बागवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

हम दूसरे पक्ष को न्याय प्रदान करके सबसे शीघ्र न्याय प्राप्त करते हैं।

.....महात्मा गांधी

## सम्पादकीय

# चुनाव आयोग शीर्ष न्यायपालिका और सरकार सबका एक साथ प्रश्नित होना घातक होगा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। आईएमएफ ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार आर्थिक आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। भारत सरकार ने आईएमएफ के इस आकलन का कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन इस आकलन के आईने में कुछ आंकड़े अवश्य ही सोचने पर विवश करते हैं कि यह सरकार देश के अस्सी करोड़ लोगों को पांच किलो मुफ्त राशन हरं माह दे रही है। यदि 144 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार के 5 किलो मुफ्त राशन पर आश्रित रहना पड़ रहा है तो इसी से विकास के सारे दावों पर स्वत: ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस समय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर चल रहा है और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि रुपया जो आज 90 के पार है जल्द ही 100 का आंकड़ा छू सकता है। आज कर्जदारों में देश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है और रसोई गैस का जो सिलेंडर 2014 में 400 रूपये का था वह आज 1000 का आंकड़ा छूने के कगार पर पहुंच गया है। सरकार ने हर चुनाव में जनता से जो जो वायदे किये थे वह कितने पूरे हुये हैं आज देश की जनता इस पर गंभीरता से विचार करने पर पहुंच गयी है। क्योंकि जिस सरकार का व्यवहारिक पक्ष इतना प्रश्निन हो वह किस आधार पर चुनाव में सफलता प्राप्त कर रही है। यह प्रश्न अब और भी उग्रता से उठाना शुरू हो गया है जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे प्रमाणिक साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाये हैं।

यहां अपने में ही बहुत गंभीर हो जाता है जब चुनाव आयोग जैसी संस्था लगातार सवालो में घिरती जा रही हो और उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब न आये। सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं और जवाब सरकार देने लग गयी है। चुनाव आयोग को लेकर मामले शीर्ष अदालत तक भी जा पहुंचे हैं। लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। ऐसे में आज स्थिति यह बन गयी है कि चुनाव आयोग सरकार और शीर्ष न्यायपालिका सब एक साथ प्रश्निन हो गये हैं। एसआईआर पर हर राज्य में सवाल उठते जा रहे हैं। कई जगहों पर बी एल ओज की आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं लेकिन चुनाव आयोग पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। एक आरटीआई चर्चा में आई जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि उसने एस आई आर को लेकर कोई आदेश जारी ही नहीं किये हैं। कर्नाटक में चुनाव आयोग के खिलाफ दर्ज मामला अदालत तक जा पहुंचा है। बिहार चुनाव पर उच्च न्यायालय में मामला जा पहुंचा है कि एक राज्य विधानसभा चुनाव में आचार संहिता को लेकर जो नियम प्रभावी थे वह बिहार चुनाव में प्रभावी क्यों नहीं हुये। बंगाल में ई.डी. के खिलाफ ममता ने एफआईआर दर्ज करवाई है मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है।

लेकिन इसी दौरान केरल में आरएसएस के लोगों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ रखने को लेकर मामला दर्ज है। गाजियाबाद में हिंदुत्व के नाम पर खुलेआम तलवारे बांटी गयी। सिकंदराबाद में हिन्दू नेताओं द्वारा एक मुस्लिम बस्ती को खाली करने के आदेश देने का मामला सामने आया है। इन दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर इन कथित हिन्दू नेताओं को हिरासत में ले लिया है। यह घटनाएं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद सामने आने को यह माना जा रहा है कि सरकार पूरे विमर्श को हिंदुत्व का आकार देने का प्रयास कर रही है। इस समय जिस तरह का विमर्श सरकार चुनाव आयोग और शीर्ष अदालत को लेकर बनता जा रहा है उसके परिणाम गंभीर होंगे जिन्हें किसी बुलडोजर न्याय से बदला नहीं जा सकेगा। स्थितियों को पूरी समग्रता में एक साथ रख कर देखना होगा।

# यह तो वक्त ही बताएगा कि पेसा कानून से झारखंड के आदिवासियों को फायदा हुआ या हानि

गौतम चौधरी

अंततोगत्वा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने झारखंड में पेसा कानून लागू कर दिया। लागू कानून में कई विसंगतियां हो सकती है लेकिन इस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए नि:सदेह हेमंत और उनकी सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस पेसा को मान्यता दी है, उस पर कई सवाल खड़े किए जा रहा हैं। वर्तमान पेसा अधिसूचना की यदि खामियों पर प्रकाश डालें तो उसमें चार बड़ी विसंगतियां देखने को मिलती है।

पहली विसंगति तो यह बताया जा रहा है कि पेसा नियमावली आदिवासी हितों की रक्षा के लिए बना था। इसमें शिडयूल्ड एरिया चिंहित करने की बात कही गयी थी। इसका चिंहिंकरण पारंपरिक आधार पर करना था और जहां पारंपरिक आधार काम नहीं कर रहा है वहां ग्राम सभा की समिति को करना था लेकिन सरकार ने नियमावली बनाते समय उसकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया.है। अब शिडयूल्ड एरिया उपायुक्त के द्वारा बनायी गयी समिति तय करेगी। हालांकि पेसा कानून की अधिसूचना में इस बात का साफ-साफ जिक्र नहीं किया गया है लेकिन यह जरूर बताया गया है कि आदिवासियों के गांवों का सीमांकन उपायुक्त के द्वारा बनायी गयी समिति करेगी। इसके कारण आने वाले समय में आदिवासियों के साथ बड़ी समस्या होने वाली है।

दूसरी जो सबसे बड़ी खामी बतायी जा रही है, पेसा नियमावली के पहले पन्ने से ही रूढ़ि-प्रथा को हटा दिया गया है। अब जब रूढ़ि-प्रथा ही नहीं है तो आदिवासियों का मूल पहचान ही खत्म हो जा रहा है। पेसा तो रूढि और प्रथाओं को अंगीकार करने वालों के लिए लाया गया था। जो अपनी प्रथाओं को छोड़ चुके हैं और आस्था बदल लिए हैं उनके लिए तो अलग से कानून है ही लेकिन पेसा तो आदिवासियों की परंपरा और रूढ़ियों की रक्षा के लिए ही लया गया था।

तीसरा आरोप यह है कि सरकार ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के बजाय उसे कमजोर करने का काम किया है। मसलन, पहले सीएनटी से जुड़े मामलों में ग्राम सभा की निर्णायक भूमिका होती थी, लेकिन अब यह अधिकार उपायुक्त डीसी को सौंप दिया गया है। इससे तो झारखंड के आदिवासियों को पहले से प्राप्त संरक्षक तीन कानून, जैसे - सीएनटी, एसपीटी और विल्किंसन रूल भी कमजोर हो जा रहा है।

इस तीन के अलावे चौथी विसंगति यह बतायी जा रही है, वर्तमान पेसा अधिसूचना में ग्राम सभा के द्वारा यदि किसी बात पर निर्णय में विलंब हो रही है तो एक निश्चित समय सीमा के बाद उस निर्णय को स्वत: पास माना जाएगा। यह ग्राम सभा को कमजोर करने वाला कानून है। इस नियम ने प्रशासन और स्थानीय नौकरशाहों को ग्राम सभा से ज्यादा ताकत प्रदान कर दिया है, जबकि मूल पेसा कानून में ग्राम सभा का निर्णय ही सर्वोपरी माना गया है।

इस प्रकार कई मामलों में पेसा को उचित और मजबूत बताया जा रहा है लेकिन पेसा से झारखंड के आदिवासियों को बहुत फायदा तो होता नहीं दिख रहा है, उलट उसके पास जो पहले से तीन कानून प्राप्त थे उसे भी कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है।

अब थोड़ा पेसा कानून की मूल प्रवृति को भी समझ लेना चाहिए। दरअसल, झारखंड में पहले से यह नारा लगता रहा है कि लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा मतलब, ग्राम सभा ही शासन का प्रमुख केन्द्र होना चाहिए। वैसे भारत में सभ्यता के साथ ही ग्राम सभा की संरचना प्रारंभ हो गयी थी। यही नहीं लगभग सभी शासकों ने इस स्थानीय शान प्रणाली को मान्यता प्रदान की। प्रथम चरण में फिरंगियों ने तो इसे नजरअंदाज किया लेकिन बाद में उन्हें भी स्थानीय निकाय को मान्यता प्रदान करनी पड़ी।

ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को भारतीय संसद के दोनों सदनों ने 73वां संशोधन कर मान्यता प्रदान किया। अब यह शासन की स्थानीय निकाय के रूप में संविधान संमत इकाई है। शासन की स्थानीय प्रणाली में अनुसूची पांच के क्षेत्रों के लिए कोई विधान नहीं किया गया था। इसी विषय को आधार बनाकर दिलिप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक समिति बनाई गयी। उस समिति ने वर्ष 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी के आधार पर वर्ष 1996 में एक बार फिर से भारतीय संसद के दोनों सदनों में पंचायती राज अधिनियम का विस्तारित प्रस्ताव पारित किया, जिसका विस्तार शिडयूल 5 तक किया गया और उसमें आदिवासियों की परंपरा एवं रूढ़ियों को जोड़ा गया।

मतलब साफ है कि पेसा आदिवासियों को स्वशासन, संसाधन अधिकार और सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक कानून है। यदि परिभाषा के तौर पर पेसा को प्रस्तुत किया जाए तो पेसा, 73वें संविधान संशोधन का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार है। यह पांचवीं अनुसूची के आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष कानून है।

जल, जंगल, जमीन से बेदखल हो रहे आदिवासियों के लिए यह एक बड़ा संवल है। यह सूनिश्चित की गयी थी कि इससे विस्थापन और सांस्कृतिक क्षरण का शिकार हो रहे आदिवासियों का संरक्षण होगा। सच पूछिए तो ग्राम सभा ही पेसा की आत्मा है। पेसा कानून में सर्वोच्च निर्णयी संस्था ग्राम सभा को ही बनाया गया है। योजना, भूमि अधिग्रहण और संसाधनों पर अंतिम अधिकार आदिवासियों के पारंपरिक ग्राम सभा के पास ही रखवा गया है।

ग्राम सभा के प्रमुख अधिकारों की बात की जाए तो, लघु वन उपज, जल स्रोत, हाट-बाज़ार, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास पर सहमति, परंपरागत विवाद निवारण, सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण आदि इसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

देश में दस ऐसे राज्य हैं, जो अनुसूची पांच में आते हैं, उसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। अपने-अपने तरीके से 9 राज्यों ने पेसा कानून पहले ही अपने यहां लागू कर दिया था लेकिन झारखंड बचा हुआ था। अब झारखंड में भी पेसा को अधिसूचित कर दिया गया है।

यदि झारखंड की बात करें तो यहां कुल 24 जिले हैं, जिनमें से 13 जिले पूर्ण रूप से और दो जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। प्रदेश में कुल 112 प्रखंड पांचवीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। अब झारखंड में पेसा कानून लागू है और यह प्रदेश के 112 प्रखंडों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

पेसा कानून के लागू होने से झारखंड में कई प्रकार के बदलाव संभव हैं। हालांकि जिस प्रकार का मूल पेसा कानून है, उस प्रकार झारखंड में लागू नहीं किया गया है। सच तो यह है दस के दस प्रांतों ने पेसा को कमजोर करके लागू किया है लेकिन इससे आदिवासियों को फायदा होता दिख तो रहा है। झारखंड में भी पेसा को नख-दंत विहीन बताया जा रहा है, बावजूद इसके चित्र बदलने की पूरी संभावना भी बतायी जा रही है।

# विकसित भारत युवा नेता संवादः विकसित भारत के लिए युवा नेतृत्व का सशक्तिकरण

केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया

भारत की विकास कथा उन लोगों द्वारा लिखी जाएगी, जो इसके विचारों को स्वरुप दे रहे हैं। पूरे देश में, युवा भारतीय इस बारे में गहराई से सोच रहे हैं कि भारत कैसे तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, कैसे बेहतर शासन कर सकता है और किस प्रकार 2047 तक विकसित देश बन सकता है। उनके विचार विश्वविद्यालय परिसरों और समुदायों, स्टार्ट-अप और खेल के मैदानों, कक्षाओं और गांव की बैठकों में उभरकर सामने आ रहे हैं। वास्तविक सवाल अब यह नहीं रहा कि क्या युवाओं के पास योगदान देने के लिए कुछ है, बल्कि यह है कि क्या उनके विचारों को राष्ट्र की दिशा को प्रभावित करने के लिए एक सशक्त मंच दिया जा रहा है। विकसित भारत युवा नेता संवाद वीबीवाईएलडी को ऐसा ही मंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आज भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा केवल नीतियों या संस्थाओं से नहीं, बल्कि इसके युवा नागरिकों की कल्पना, दृढ़ विश्वास और साहस से निर्धारित होगी। विशाल युवा शक्ति का यह भंडार केवल जनसांख्यिकीय लाभ नहीं है( यह भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिसंपत्ति है, जो नवाचार को गति देने, लोकतंत्र को मजबूत करने तथा देश को समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में सक्षम है।

भारत की युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को मजबूत उद्देश्य और संभावना से मार्गदर्शन मिलता है। आज का युवा केवल व्यक्तिगत उन्नति से प्रेरणा प्राप्त नहीं करता है( वह जिम्मेदारी उठाने और सार्थक प्रभाव डालने की इच्छा से भी प्रेरित होता है। वे ऐसे रास्तों की खोज करते हैं, जहां उनकी रचनात्मकता, समाधानों में बदल सके, उनकी ऊर्जा नेतृत्व में और उनकी महत्वाकांक्षा सेवा में परिवर्तित हो सके।

युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मुझे विभिन्न पृष्ठभूमियों में-जैसे विश्वविद्यालय परिसरों में, ग्रामीण जिलों में, खेल मैदानों में और युवा नेतृत्व वाली सामुदायिक पहलों में - युवा भारतीयों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। जो चीज़ हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वह यह है कि युवा लोग देश के भविष्य के बारे में कितनी गंभीरता से सोचते हैं। मुझे वह मौका याद है जब मैं ग्रामीण युवा स्वयंसेवकों के एक समूह से मिला, जिन्होंने अपने गाँवों में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का आयोजन किया था। सीमित संसाधनों के बावजूद, दृढ़ विश्वास के साथ, वे शिक्षा और कौशल विकास की कमियों का स्थानीय रूप से डिज़ाइन किए गए उपायों के माध्यम से समाधान कर रहे थे। उनके विचार व्यावहारिक थे, जमीनी वास्तविकताओं से जुड़े थे और जिम्मेदारी की स्पष्ट भावना से संचालित थे। इस तरह के अनुभव एक सरल सच्चाई की पुष्टि करते हैं जब युवा लोगों पर भरोसा किया जाता है और उन्हें स्थान दिया जाता है, तो वे केवल भाग नहीं लेते, बल्कि नेतृत्व करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से आहवान किया था कि ऐसे एक लाख युवाओं को सार्वजनिक जीवन में लाया जाना चाहिए, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। प्रधानमंत्री की इसी भावना से प्रेरित होकर जनवरी 2025 में विकसित भारत युवा नेता संवादश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की परिकल्पना पूरी तरह से नए प्रारूप में की गयी है। प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रही। विकसित भारत चुनौती के माध्यम से 30 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, दो लाख से अधिक निबंध प्रस्तुत किए गए और हजारों युवाओं ने राज्य स्तर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस आयोजन का समापन दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जहां 3,000 युवा नेताओं को प्रधानमंत्री के साथ खुलकर संवाद करने का अवसर मिला, जिन्होंने कई घंटों तक उनके विचार सुने और उन्हें नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया।

संख्याओं से परे, सहभागिता की प्रकृति ने इस संवाद को वास्तव में ऐतिहासिक बनाया। इसने मान्यता दी कि भारत की युवा शक्ति के विचार 2047 के भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। युवा प्रतिभागियों को राष्ट्रीय चुनौतियों के बारे में गंभीरता से सोचने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को साझा उद्देश्य के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे आकांक्षा और क्रियान्वयन के बीच का अंतर समाप्त हो गया।

विकसित भारत युवा नेता संवाद की ताकत केवल इसके पैमाने में नहीं, बल्कि इसके डिज़ाइन में है। विचार, भाषा, संस्कृति और अनुभव की विविधता इस पहल की संरचना में निहित है। शहरी और ग्रामीण भारत के युवा, छात्र और पेशेवर, नवोन्मेषी और जमीनी नेता एक मंच साझा करते हैं। कई स्तरों की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि संवाद और आदान-प्रदान के माध्यम से विचार परिष्कृत होंगे, न कि भौगोलिक, भाषा या पृष्ठभूमि के कारण विचारों को छांट दिया जाएगा। ऐसा करके, संवाद सुनिश्चित करता है कि भाग लेने वाले हर युवा के पास अपनी बात को रखने का अवसर है और उसे विस्तार देने का एक मंच भी है।

भारत के युवाओं ने हमेशा देश के निर्णायक क्षणों में मुख्य भूमिका निभाई है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के संस्थानों के निर्माण तक। हर मोड़ पर, युवा भारतीय साहस, विश्वास और नेतृत्व करने की इच्छा के साथ आगे बढ़े हैं। केवल भागीदारी के लिए नहीं, बल्कि भारत की विकास कहानी के साझा-निर्माण का नेतृत्व करने और इसे गति देने के लिए, आज, राष्ट्र फिर से अपने युवाओं की ओर देख रहा है। 2047 में विकसित भारत का विज़न केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण जिम्मेदारी, तकनीकी मार्गदर्शन और समावेशी विकास की भी मांग करता है। इन जटिल चुनौतियों के लिए ताजा सोच, अनुकूलन क्षमता और अभिनव को अपनाने की योग्यता की आवश्यकता है ये गुण भारत की युवा शक्ति में प्रबल रूप से मौजूद हैं।

पहली ऐतिहासिक संस्करण की शानदार सफलता के आधार पर, वीबीवाईएलडी 2026, जो 9 से 12 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन से एक ऐसे मंच की ओर निर्णायक छलांग का संकेत देता है जिसकी प्रतिध्वनि वैश्विक है। 'भारत के लिए डिज़ाइन' और 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी' जैसी नई पहलों और अंतरराष्ट्रीय भारतीय युवा प्रवासी की भागीदारी के साथ, संवादों का अब सीमाओं के पार तक प्रसार होता है। फिर भी, इसका मूल उद्देश्य अपरिवर्तित रहता है युवाओं को साहसपूर्वक सोचने, निडरता से रचना करने और दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना।

इस साल के आयोजन का पैमाना इस महत्वाकांक्षा की गहराई को रेखांकित करता है। विकसित भारत क्विज में 50 लाख से अधिक युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो वीबीवाईएलडी 2026 के चयन का पहला चरण था। यह इसे अपने तरह के सबसे बड़े युवा सहभागिता कार्यक्रमों में से एक बनाता है। चार दिनों के दौरान, देश के हर कोने के प्रतिभागी व्यावहारिक अंतर्दृष्टियों, विचारों और दृष्टिकोणों का लाभ उठाते हुए प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक व्यक्तित्वों के साथ संवाद करेंगे, जो विषयों और भौगोलिक सीमाओं से परे जाते हैं।

वास्तव में वीबीवाईएलडी 2026 को अलग बनाने वाली चीज यह है कि यह हमारी युवा शक्ति को केवल बोलने का मौका नहीं देता, बल्कि उन्हें सुने जाने का भी अवसर प्रदान करता है। यह मंच युवा भारतीयों को अपने विचारों, आकांक्षाओं और समाधानों को भारत के प्रधानमंत्री के सामने सीधे प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। 12 जनवरी को, जिसे पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भारत मंडपम में युवाओं के साथ संवाद करेंगे, उनसे सुनेंगे कि वे भविष्य की भारत की कल्पना कैसे करते हैं और किस रूप में उसे आकार देने का इरादा रखते हैं।

जैसे-जैसे भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, देश को उन युवाओं की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है, जिनमें बड़े सपने देखने का साहस है और विचारों को सार्थक कार्य में बदलने का दृढ़ संकल्प है। संवाद के लिए एक मंच से कहीं अधिक, विकसित भारत युवा नेता संवाद एक अभियान है, जो भारतीय युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने, राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने और विकसित भारत के साथ अपनी आकांक्षाओं को जोड़ने का आहवान करता है।

विकसित भारत का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, जिनमें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास और सेवा करने की प्रतिबद्धता है। भारत के युवा तैयार हैं। राष्ट्र को उनके साथ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

# 'व्यवस्था परिवर्तन' से हिमाचल में नीली क्रांति की नई लहर

**शिमला।** फल उत्पादन के क्षेत्र में देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हिमाचल प्रदेश में अब जल संसाधनों के माध्यम से समृद्धि की एक नई कहानी लिखी जा रही है। 'व्यवस्था परिवर्तन' के संकल्प के साथ वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचारों से प्रदेश में नीली क्रांति का सशक्त आगाज हुआ है, जो किसानों और युवाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रही है।

मत्स्य क्षेत्र में यह बदलाव केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, गांवों में ही रोजगार सृजन और युवाओं के पलायन को रोकने की दिशा में एक ठोस पहल के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना इस परिवर्तन की धुरी बनकर सामने आई है, जो मछली पालकों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है।

प्रदेश में वर्ष 2022-23 के दौरान जहां मछली उत्पादन 17,000 मीट्रिक टन दर्ज किया गया था, वहीं वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर लगभग 19,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। गोविंद सागर, पोंग डैम और कोल डैम जैसे बड़े जलाशयों में बढ़ता उत्पादन इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक प्रबंधन, वैज्ञानिक तकनीकों और जनभागीदारी से मत्स्य पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है।

वर्ष 2024-25 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को गांव में ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत कार्प मछली पालन के लिए प्रति हेक्टेयर 12.40 लाख रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इससे छोटे और सीमांत मछली पालकों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और वे आत्मविश्वास के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही 500 वर्ग मीटर की छोटी इकाइयों के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे सीमित संसाधनों वाले परिवार भी इस योजना से जुड़ पा रहे हैं।

वर्तमान में यह योजना बिलासपुर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और चंबा जिलों में लागू की जा रही है। इसके व्यापक भौगोलिक विस्तार से मत्स्य क्षेत्र में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो रहा है और योजना का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है।

मत्स्य पालन को वैज्ञानिक और टिकाऊ स्वरूप देने के लिए प्रदेश सरकार आधुनिक अवसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सोलन जिले के नालागढ़ में कार्प मछली ब्रूड बैंक तथा पतलीकूहल में ट्राउट मछली ब्रूड बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्रूड बैंक पर लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे मछली पालकों को स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध होगा और उत्पादन क्षमता में और वृद्धि होगी।

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में योजना के तहत 5 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मछली तालाबों के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार मत्स्य क्षेत्र को दीर्घकालिक विकास रणनीति के तहत सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार का लक्ष्य गांव-देहात में ही रोजगार के अवसर सृजित कर लोगों के जीवन में स्थायी खुशहाली लाना है। मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के माध्यम से प्रदेश में मत्स्य क्रांति आकार ले रही है, जिससे 20,000 से अधिक परिवारों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल हो रहा है। नीली क्रांति का यह नया अध्याय यह प्रमाणित करता है कि सही नीति, दृढ़ इच्छाशक्ति और जनभागीदारी के साथ जल संसाधन भी समृद्धि का स्थायी आधार बन सकते हैं।

# प्राकृतिक खेती ने बदली किसानों की तकदीर

**शिमला।** करसोग की पहाड़ियों में फैले खेत केवल मक्की की फसल नहीं उगा रहे, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और खुशहाली की कहानी भी लिख रहे हैं। कभी सीमित आमदनी, बढ़ती लागत और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझने वाले किसान आज अपनी मेहनत का पूरा मूल्य पा रहे हैं। यह बदलाव प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली राज्य सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल है।

करसोग क्षेत्र के कई किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा नहीं रही। प्राकृतिक विधि अपनाने से जहां उत्पादन लागत में कमी आई है, वहीं उपज की गुणवत्ता बेहतर हुई है। इससे किसानों को बाजार में पहचान भी मिली है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सीधी खरीद ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि अब उनकी फसल का सही मूल्य तय समय पर मिलेगा।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत इस वर्ष करसोग उपमंडल में 39 किसानों से लगभग 50 क्विंटल प्राकृतिक मक्की की खरीद की गई। 40 रुपये प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य के अनुसार दो लाख रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंची। यह पहली बार था जब कई किसानों को बिना किसी बिचौलिए के, पूरी पारदर्शिता के साथ भुगतान मिला।

इस पहल का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहा। किसानों के हाथ में पैसा आने से गांव की अर्थव्यवस्था में भी गति आई। स्थानीय दुकानों पर रौनक बढ़ी, छोटे काम-धंधों को सहारा मिला और ग्रामीण जीवन में नई ऊर्जा देखने को मिली। खेती से जुड़ी गतिविधियों में निवेश बढ़ा, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा हुए।

प्राकृतिक खेती ने किसानों के साथ-साथ आम जनता के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाया है। रसायनमुक्त मक्की से तैयार उत्पाद पोषण से भरपूर हैं और सुरक्षित भी। इससे लोगों में प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के प्रति विश्वास बढ़ा है और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन मिला है।

इस बदलाव में महिला किसानों की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। मीरा देवी, आशा देवी, लता देवी और नीलम जैसी महिलाओं ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर न केवल आर्थिक रूप से मजबूती हासिल की है, बल्कि परिवार और खेती से जुड़े निर्णयों में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। उनका कहना है कि समय पर भुगतान और निश्चित आय ने जीवन को अधिक सुरक्षित बनाया है।

करसोग के खेतों में लहलहाती मक्की सिर्फ फसल नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो किसानों ने सरकार की नीतियों पर जताया है। यह कहानी बताती है कि जब खेती को सही दिशा, उचित मूल्य और नीति का साथ मिलता है, तो गांवों में खुशहाली लौटती है और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है।

# चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए बनेगी सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी:मुख्यमंत्री

## एमडी – एमएस के नए विषय शुरू करने के निर्देश

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनाई जाएगी। इस नीति के तहत सीनियर रेजिडेंट पदों का युक्तिकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सीनियर रेजिडेंटशिप में जनरल ड्यूटी ऑफिसर जीडीओ का कोटा 66 प्रतिशत किया जाएगा, जो वर्तमान में जीडीओ और सीधी भर्ती के बीच 50 – 50 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक में नए विषयों में एमडी एवं एमएस पाठयक्रम आरंभ किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत संरचना और अधिक सुदृढ़ होगी।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि डीएम और एमसीएच सुपरस्पेशलिटी विशेषज्ञों को चिकित्सा महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेट – ऑफ – द – आर्ट आईसीयू स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से 500 चिकित्सा महाविद्यालयों और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात होंगे। इसके लिए प्रथम चरण में हमीरपुर जिला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। रोगी मित्रों की कार्यप्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार कर ली गई है। पायलट चरण में रोगी मित्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चमियाणा अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और आईजीएमसी शिमला में भी पायलट आधार पर 70 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों की सहायता के लिए रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे तथा इन संस्थानों में रोगी मित्र काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों की विभिन्न ओपीडी में मरीजों से संबंधित डेटा दर्ज करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए नवोन्मेषी उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं को लागू कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस गोकुल बुटेल, सचिव स्वास्थ्य प्रियंका बासु इंगटी, विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा एवं जितेन्द्र सांजटा, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य गोपाल बेरी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# उप – मुख्यमंत्री ने परिवहन विकास परिषद् की बैठक में उठाए हिमाचल के मुद्दे

**शिमला/शैल।** उप – मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में

आयोजित परिवहन मंत्रियों की राष्ट्र स्तरीय बैठक तथा 43वीं परिवहन विकास परिषद् की बैठक में भाग लिया।

बैठक में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के परिवहन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए केन्द्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में टैक्सी परमिट की वैधता 12 वर्ष होने से वाहन मालिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने टैक्सी परमिट की अवधि को कम से कम 15 वर्ष या वाहन के सड़क पर चलने योग्य रहने तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

उप – मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित भूमि उपलब्धता का उल्लेख करते हुए क्लस्टर योजना के तहत ड्राइविंग टेस्ट स्कूल और ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन को अलग – अलग स्थापित करने की अनुमति देने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने टिप्पर जैसे मालवाहक वाहनों की क्षमता वास्तविक ढुलाई के अनुरूप तय करने का सुझाव भी दिया।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक सुरक्षित, प्रभावी और जनहितैषी परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ निरंतर समन्वय कर रही है। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

# ऊर्जा खपत का 90 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों में चरणबद्ध रूप से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा तथा विद्युत व्यय में उल्लेखनीय बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करना है। वर्तमान में राज्य की वार्षिक ऊर्जा खपत लगभग 13 हजार मिलियन यूनिट है, जिसे आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाते हुए 90 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगामी दो वर्षों में 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में पेखूबेला (32 मेगावाट), भंजाल (5 मेगावाट) और अघलौर (10 मेगावाट) सौर ऊर्जा परियोजनाएं विद्युत उत्पादन कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय भूमिका दी गई है। कार्यक्रम के पहले चरण में 24 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की सौर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 16 पंचायतों में कार्य आरंभ हो चुका है। इन परियोजनाओं से होने वाले राजस्व का 20 प्रतिशत अनाथ बच्चों एवं विधवाओं के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई सौर ऊर्जा परियोजनाएं निष्पादन और निविदा चरण में हैं तथा कांगड़ा जिले के डमटाल क्षेत्र में 200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

# विधायक प्राथमिकता बैठक 4 और 5 फरवरी को

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2026 – 27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु प्रस्तावित दो दिवसीय बैठक का आयोजन 4 और 5 फरवरी, 2026 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में किया जाएगा।

4 फरवरी, 2026 को पूर्वाह्न 10. 30 बजे से 1.30 बजे तक कांगड़ा और कुल्लू जिलों तथा अपराह्न 2.00 बजे से 5.00 बजे तक सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल – स्पीति और किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

5 फरवरी, 2026 को पूर्वाह्न 10. 30 बजे से 1.30 बजे तक शिमला और मंडी जिलों के विधायकों तथा अपराह्न 2.00 बजे से 5.00 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों के साथ बैठक होगी।

इन बैठकों में वार्षिक बजट 2026 – 27 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण पर विस्तृत विचार – विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2026 – 27 के लिए मितव्ययिता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने तथा बेहतर प्रशासन से संबंधित विधायकों के सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी।

# रोस्टर व बैकलॉग रिक्तियों के मुद्दे शीघ्र निपटारे के निर्देश

**शिमला/शैल।** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (ईसोमसा) द्वारा दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडीज) से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दृष्टिबाधित संघ सहित विभिन्न संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई।

निदेशक सुमित खीमटा ने बताया कि अब तक केवल पशुपालन तथा मुद्रण एवं लेखा विभाग ने ही बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये हैं। उन्होंने शेष विभागों से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित 119 जेबीटी पदों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। साथ ही, 94 टीजीटी पदों के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया है, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित हैं।

बैठक में एचआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए हिम बस कार्ड को अनिवार्य किए जाने के विषय पर भी चर्चा हुई। निदेशक ने बताया कि बस कार्ड बनवाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि दृष्टिबाधित संघ ने इस अनिवार्यता से छूट की मांग की है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

अन्य मुद्दों में विकलांगता राहत भत्ता (डीआरए) बढ़ाने, स्वतंत्र राज्य आयुक्त की नियुक्ति, सहारा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दृष्टिबाधितों को आवास तथा दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने जैसे विषय शामिल रहे। नीतिगत मामलों पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष शोभू राम ने बैठक आयोजित करने और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया तथा बैकलॉग रिक्तियों को शीघ्र भरने का आग्रह किया।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं दिव्यांगजन संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

# राजेश धर्माणी ने रेरा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

## पहाड़ी परिस्थितियों के अनुरूप सुनियोजित निर्माण को दिया जा रहा प्रोत्साहन

**शिमला/शैल।** नगर नियोजन एवं आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने यहां हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने

कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित, पर्यावरण – अनुकूल और किफायती निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

उन्होंने कहा कि रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और संपत्ति से जुड़े विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेरा के माध्यम से संपत्ति खरीदारों को परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में रेरा के अंतर्गत 269 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 159 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हैं। रेरा को प्राप्त 194 शिकायतों में से 144 का निवारण किया जा चुका है। ऑनलाइन माध्यम से वेब – एक्स के जरिए शिकायतों की सुनवाई भी सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने जानकारी दी कि रेरा द्वारा अब तक ट्रेजरी में लगभग 1.2 करोड़ रुपये जमा करवाये गये हैं, जबकि लगभग 7 करोड़ रुपये घर खरीदारों को वापस दिलवाए गए हैं।

राजेश धर्माणी ने कहा कि रेरा घर खरीदारों को सशक्त बनाने और परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि डेवलपर्स के लिए परियोजना से संबंधित प्लान, ले – आउट और निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का विवरण देना अनिवार्य किया गया है, जिससे खरीदारों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन एजेंसियों द्वारा जियो – टैग फोटो और वीडियो के माध्यम से निर्माण की निगरानी की जाएगी। शिकायतों के समयबद्ध निवारण से रेरा खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विश्वास को और मजबूत कर रहा है। बैठक में बिल्डिंग सेफ्टी काउंसिल के गठन के विषय पर भी चर्चा की गई।

बैठक में रेरा के अध्यक्ष आर.डी. धीमान, सदस्य विदुर मेहता तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# अर्की बाजार में अग्निकांड पर मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया गहरा शोक

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के अर्की बाजार में रविवार देर रात हुई भीषण आगजनी की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है, जिसमें एक आठ वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई।

मुख्यमंत्री ने घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय विधायक संजय अवस्थी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। इस घटना में घायल दो लोगों का उपचार नागरिक अस्पताल अर्की में किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चे के परिजनों को तत्काल सहायता प्रदान करने तथा घटना की गहन जांच करने के आदेश भी जिला प्रशासन को दिए हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

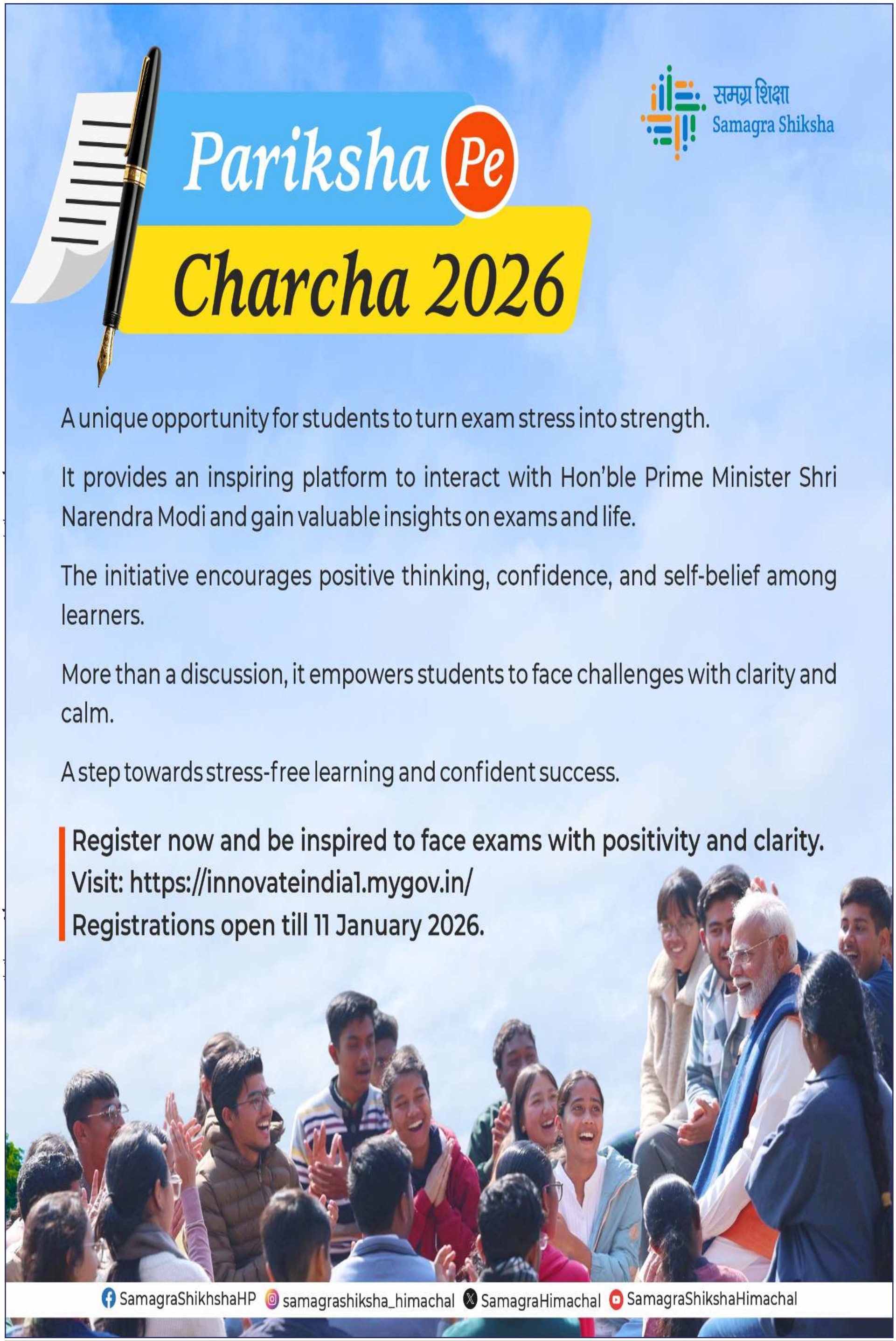


सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

# पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर उपजे संवैधानिक संकट पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप ने यह साफ कर दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रशासनिक कारणों या वैधानिक बहानों के सहारे अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता। अदालत के समक्ष यह मामला केवल चुनावी तिथियों का नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्धारित समयबद्ध शासन व्यवस्था की रक्षा का था।

रिकॉर्ड से यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि परिसीमन, पुनर्गठन, आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूचियों से जुड़ी अधिकांश प्रक्रियाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 से तैयार की गई समय-सारिणी और विभागों को दिए गए स्पष्ट निर्देश इस बात की ओर संकेत करते हैं कि चुनावी तैयारी कोई आकस्मिक कार्य नहीं थी, बल्कि यह पूर्वनियोजित और समयबद्ध प्रक्रिया थी। इसके बावजूद विभिन्न विभागों द्वारा समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोध और उसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चुनाव स्थगित करने का आदेश इस पूरे विवाद का केंद्र बने।

अदालत ने अपने अवलोकन में यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 243E और 243B के तहत पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल और समय पर चुनाव कोई प्रशासनिक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य संवैधानिक आदेश है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जारी रखना लोकतांत्रिक ढांचे के मूल सिद्धांत के विपरीत है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धाराएं भी इसी संवैधानिक व्यवस्था को दोहराती हैं, जिससे यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि राज्य सरकार के पास चुनाव टालने का असीमित विवेकाधिकार नहीं है।

परिसीमन और आरक्षण रोस्टर को लेकर दिए गए तर्कों पर कोर्ट का रुख कठोर रहा। न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है, किंतु इसे चुनाव न कराने का बहाना नहीं बनाया जा सकता, विशेषकर तब जब राज्य के अधिकांश हिस्सों में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी हो। सीमित क्षेत्रों में शेष औपचारिकताओं को अल्प अवधि में पूरा किया जा सकता है यह तथ्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से स्वयं सिद्ध था।

सबसे गंभीर प्रश्न आपदा प्रबंधन अधिनियम के उपयोग को लेकर उठा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपदा प्रबंधन कानून का उद्देश्य जन-जीवन और संपत्ति की रक्षा है, न कि संवैधानिक संस्थाओं के नियमित और अनिवार्य कार्यों को अनिश्चितकाल तक स्थगित करना। भारी वर्षा, भूस्खलन या प्रशासनिक कठिनाइयों को चुनाव टालने का स्थायी आधार नहीं माना जा सकता। इसी क्रम में जनगणना और बोर्ड परीक्षाओं को भी चुनावी प्रक्रिया में बाधा मानने से अदालत ने इंकार किया और यह टिप्पणी की कि चुनावी दायित्व केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं है अन्य विभागों के कर्मचारियों की तैनाती कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।

इस पूरे मामले में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय की कमी अदालत की गंभीर चिंता का विषय रही। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है और उससे जुड़े सभी अंगों को सहयोगात्मक ढंग से कार्य करना चाहिए। एक-दूसरे के आदेशों को निष्प्रभावी करने या एकतरफा निर्णय लेने से संवैधानिक संतुलन बिगड़ता है और इसका सीधा असर स्थानीय स्वशासन की विश्वसनीयता पर पड़ता है। 'एल्डर ब्रदर' की भूमिका निभाने संबंधी टिप्पणी इसी पृष्ठभूमि में की गई, ताकि आयोग नेतृत्वकारी और समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाये।

अंततः हाईकोर्ट ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में कराये जाना न केवल संभव है, बल्कि संवैधानिक दृष्टि से अनिवार्य भी है। 28 फरवरी 2026 तक सभी शेष प्रशासनिक और वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करने और उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संविधान के आदेश के आगे प्रशासनिक असुविधाएं टिक नहीं सकतीं। यह निर्णय स्थानीय स्वशासन को समय पर जनता के प्रति जवाबदेह बनाये रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

# सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए एक लाख नए लाभार्थी

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सरकार ने गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं और दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत किया है। सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर और बिना किसी परेशानी के सहायता मिल सके।

अब विधवा, परित्यक्त और अकेली महिलाओं तथा 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांग लोगों को पेंशन के लिए न तो आय का प्रमाण देना होगा और न ही ग्राम सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इससे गांव के लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पेंशन जल्दी मिल सकेगी।

वर्तमान में पूरे प्रदेश में 8 लाख 42 हजार से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इनमें बुजुर्ग, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांग लोग शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों में लगभग एक लाख नए लोगों को पेंशन के दायरे में लाया गया है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने फरवरी 2024 से 69 वर्ष तक की महिलाओं की मासिक पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है। इससे महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने 'प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के लंबित भुगतान जल्द जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पांगी, लाहौल-स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी जैसे दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।

दिव्यांग लोगों के लिये बिना किसी आय सीमा के राहत भत्ता दिया जा रहा है। उन्हें हर महीने 1150 से 1700 रुपये तक पेंशन मिल रही है। पढ़ाई कर रहे दिव्यांग बच्चों को 625 से 5000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। दिव्यांग व्यक्तियों की शादी के लिए सरकार 25 हजार से 50 हजार रुपये तक की सहायता भी दे रही है। इसके अलावा वृद्धाश्रम और विशेष गृहों में रहने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों को त्योहारों पर 500 रुपये का उत्सव अनुदान दिया जा रहा है।

अब पेंशन से जुड़ा अधिकतर काम कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में समय पर पहुंच रहा है। सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा कोई भीख नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों का हक है और इसी सोच के साथ यह योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पीछे न रह जाए।

# श्रम सुधार श्रमिकों और उद्योगों के हित में

**शिमला/शैल।** भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने श्रम कानूनों में किये गये सुधारों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन किया है। दिल्ली में आयोजित वित्त समिति की बैठक के उपरांत जारी ब्यान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई श्रम संहिताएं श्रम क्षेत्र में सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में पहले से लागू 29 श्रम कानूनों को एकीकृत कर चार श्रम संहिताओं में परिवर्तित किया है। उनके अनुसार, इन संहिताओं में मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता, 2020 शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है।

उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं से व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता मिलने की बात कही जा रही है, जबकि मजदूरों के लिये मजदूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने के प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इन संहिताओं के अंतर्गत संरक्षण देने का दावा किया गया है।

मजदूरी संहिता के संबंध में सुरेश कश्यप ने कहा कि इसका उद्देश्य नियोक्ताओं के लिए मजदूरी से जुड़े अनुपालन को एकरूप बनाना तथा मजदूरों के अधिकारों को सुदृढ़ करना बताया गया है। उनके अनुसार, मजदूरी की समान परिभाषा और वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से आय सुरक्षा में सुधार होने और श्रम विवादों में कमी आने की बात कही जा रही है।

औद्योगिक संबंध संहिता को लेकर उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े प्रावधानों को सरल करने तथा औद्योगिक विवादों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने का दावा किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता पर टिप्पणी करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि इसके जरिए संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ और भविष्य निधि जैसी सुविधाओं के विस्तार तथा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाने की बात कही गई है।

सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किये गये ये श्रम सुधार श्रमिकों और उद्योग दोनों के हित में बताये जा रहे हैं और इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।